www.bis.gov.in

भारतीय मानक ब्यूरो

केन्द्रीय मुहर विभाग-2

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

फुटवियर उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों पर

Q1: गुणवत्ता नियंत्रण आदेश क्या है?

A1: बीआईएस प्रमाणन योजना मूलतः स्वैच्छिक प्रकृति की है। हालाँकि, कई उत्पादों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विचारों अर्थात् सार्वजनिक हित, मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत भारतीय मानकों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है।

ऐसे उत्पादों के लिए, बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के संयोजन में पढ़ी गई धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी करके बीआईएस के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग का निर्देश देती है।

क्यूसीओ के प्रारंभ होने की तारीख के बाद, कोई भी व्यक्ति मानक चिह्न (जैसे आईएसआई मार्क) के बिना क्यूसीओ के अंतर्गत आने वाले किसी भी उत्पाद का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराये, पट्टे, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।

क्यूसीओ पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस द्वारा अपनी वेबसाइट www.bis.gov.in पर प्रकाशित क्यूसीओ पर मार्गदर्शन दस्तावेज़ देखें।

Q2: ऐसे कौन से फुटवियर उत्पाद हैं जिनके लिए सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं?

A2: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 उत्पादों को अनिवार्य BIS प्रमाणीकरण के तहत लाते हुए तीन QCOs जारी किए हैं, ये इस प्रकार हैं (इसके लिए "QCO" कॉलम के तहत लिंक का अनुसरण करें) उत्पादों की सूची और लागू भारतीय मानकों सहित क्यूसीओ के पूर्ण पाठ तक पहुंच):

क्यूसीओ	उत्पादों की संख्या	कार्यान्वयन की तिथि
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण - जूते क्यूसीओ	03	1 जनवरी 2022
चमड़ा और अन्य सामग्री जूते जूते क्यूसीओ	11	1 जुलाई 2023
ऑल-रबर और ऑल पॉलीमेरिक मटेरियल फुटवियर QCO	13	1 जुलाई 2023

क्यूसीओ और उनके संशोधनों के साथ अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण के तहत सभी उत्पादों की सूची "अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत उत्पाद" के अंतर्गत बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Q3: मैं फुटवियर उत्पादों के लिए संदर्भित भारतीय मानकों तक कैसे पहुंच सकता हूं?

A3: भारतीय मानकों को BIS वेबसाइट www.bis.gov.in से "मानक > भारतीय मानक डाउनलोड करें" टैब के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है, जो आपको मानक BIS पोर्टल: https://standardsbis.bsbedge.com/ पर ले जाएगा ।

आप इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और फिर भारतीय मानक मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। बीआईएस द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय (आईएसओ) मानकों को भी भुगतान उपरांत डाउनलोड किया जा सकता है।

Q4: क्या सूक्ष्म और लघु उद्यमों को घरेलू प्रयोगशालाएं स्थापित करनी होंगी और निरीक्षण एवं परीक्षण योजना (एसआईटी) का पालन करना होगा?

A4: उपभोक्ता फुटवियर और फुटवियर घटक उत्पादों के उत्पाद मैनुअल को निम्नलिखित आवश्यकताओं के संबंध में **सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए निरीक्षण और परीक्षण योजना (एसआईटी) के अनुपालन को वैकल्पिक बनाने के लिए** संशोधित किया गया है।

खंड 1 (प्रयोगशाला): अर्थात उपयुक्त रूप से सुसज्जित और कर्मचारियों वाली प्रयोगशाला बनाए रखने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है

खंड 2 (परीक्षण रिकॉर्ड): यानी परीक्षण रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है

खंड 4 (नियंत्रण इकाई) और खंड 5 (नियंत्रण के स्तर) यानी नियंत्रण के स्तरों के तहत बताए अनुसार परीक्षण करना अनिवार्य नहीं है

ये परिवर्तन निम्नलिखित उत्पादों के उत्पाद मैनुअल में किए गए हैं

क) सैंडल और स्लीपर (आईएस 6721:2023)
बी) हवाई चप्पल (आईएस 10702:2023)
ग) स्पोर्ट्स फुटवियर (आईएस 15844:2010, आईएस 15844 (भाग 1):2023, आईएस 15844 (भाग 2):2023))
घ) रबर सोल वाले कैनवास जूते और बूट (आईएस 3735:1996, आईएस 3736:1995)
ई) मोल्डेड सॉलिड रबर सोल और हील्स (आईएस 5676: 1995)
च) तलवों और एड़ी के लिए रबर माइक्रोसेलुलर शीट (आईएस 6664: 1992)
छ) ठोस पीवीसी तलवे और एड़ी (आईएस 6719: 1972)
ज) पॉलीयुरेथेन सोल, अर्धकठोर (आईएस 13893: 1994)

हालांकि, सभी इकाइयां अपने उत्पादों का भारतीय मानक की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगी और *क्लॉज 3 (पैकिंग और मार्किंग) और क्लॉज 6 (अस्वीकृति) के संबंध में एसआईटी की आवश्यकताओं का सभी द्वारा पालन किया जाएगा।*

कृपया उपरोक्त उत्पादों के लिए उत्पाद मैनुअल देखें जहां उत्पाद के लिए उपरोक्त उल्लेख किया गया है। इसकी सूचना देने वाला एक परिपत्र बीआईएस वेबसाइट पर भी होस्ट किया गया है।
(https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2023/09/notification-for-footwear-SIT-relaxation-merged.pdf)

Q5: मैंने सुना है कि बीआईएस ने हाल ही में कुछ उत्पादों के लिए मानकों को संशोधित किया है। क्या उद्योग को संशोधित मानकों के अनुसार उत्पादों के संबंध में क्यूसीओ का अनुपालन करने के लिए कुछ समय मिलेगा? क्या यह घरेलू और विदेशी दोनों निर्माताओं पर लागू होता है?

A5: निम्नलिखित उत्पाद के लिए जिनके मानकों को हाल ही में संशोधित किया गया है, इन संशोधित मानकों के अनुसार उत्पादन करने वाले निर्माताओं को अनुपालन के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय अर्थात 31 दिसंबर 2023 तक दिया गया है ।

वर्तमान आईएस नंबर (उत्पाद)	संशोधित आईएस नंबर (उत्पाद)
आईएस 15844:2010 - स्पोर्ट्स फुटवियर	आईएस 15844 (भाग 1):2023 - खेल जूते भाग -1 सामान्य प्रयोजन, और आईएस 15844 (भाग 2):2023 - स्पोर्ट्स फुटवियर भाग 2 प्रदर्शन स्पोर्ट्स फुटवियर
आईएस 10702:1992 - रबर हवाई चप्पल	आईएस 10702:2023 - हवाई चप्पल
आईएस 11544:1986 - रबर चप्पल	आईएस 6721:2023 - चप्पल और चप्पल
आईएस 6721:1972 - पीवीसी सैंडल	

यह भारत में उपभोक्ताओं के लिए जूते बनाने वाले घरेलू और विदेशी दोनों निर्माताओं पर लागू होता है।

बीआईएस ने यह जानकारी सार्वजनिक डोमेन में बीआईएस वेबसाइट पर प्रकाशित की है। - https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/NOTIFICATION-FOR-EXTENSION.pdf

Q6: मेरी कंपनी के पास विभिन्न स्थानों पर फैली कई विनिर्माण इकाइयाँ हैं। क्या मुझे इन सभी इकाइयों के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है?

उ6: हां, बीआईएस प्रमाणन किसी विनिर्माण परिसर को दिया जाता है, किसी कंपनी को नहीं। इसलिए, प्रत्येक विनिर्माण परिसर के लिए अलग प्रमाणीकरण (लाइसेंस) प्राप्त करने की आवश्यकता होगी (विनिर्माण परिसर का अर्थ है वह परिसर, जो या तो आवेदक के स्वामित्व में है या अन्यथा, जहां विनिर्माण गतिविधि का एक भाग होता है और इसमें वह परिसर शामिल है जहां अंतिम विनिर्माण गतिविधि की जाती है और जहां मानक चिह्न का उपयोग या लागू किया जाना है).

Q7: अपनी विनिर्माण इकाई में, मैं कई अलग-अलग प्रकार के फुटवियर उत्पाद बनाता हूं। क्या मुझे इकाई के लिए एक लाइसेंस लेने की ज़रूरत है या प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेने की ज़रूरत है? क्या मुझे एक ही फुटवियर उत्पाद की विभिन्न किस्मों के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता है?

A7: बीआईएस, उपयुक्त भारतीय मानकों के अनुसार, प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग-अलग लाइसेंस देता है। उदाहरण के लिए, यदि हवाई चप्पल (आईएस 6721:2023) और स्पोर्ट्स फुटवियर - सामान्य प्रयोजन (आईएस

15844 (भाग 1):2023) दोनों एक ही इकाई में निर्मित किए जा रहे हैं, तो उस इकाई को इनमें से प्रत्येक उत्पाद/भारतीय मानक के लिए दो अलग-अलग लाइसेंस प्राप्त करने होंगे।

हालाँकि, एक ही भारतीय मानक के अंतर्गत आने वाले उत्पाद की विभिन्न किस्मों को एक ही लाइसेंस के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। कृपया विशिष्ट उत्पादों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उत्पाद मैनुअल (लाइसेंस का दायरा और समूहीकरण दिशानिर्देश) देखें। https://www.bis.gov.in/product-certification/product-special-information-2/product-manualsmk

प्रश्न8: क्या ये क्यूसीओ केवल तैयार जूते या जूते के घटकों/सामग्री पर भी लागू होते हैं?

ए8: इन 3 क्यूसीओ के अंतर्गत शामिल 27 उत्पादों में से, निम्नलिखित फुटवियर घटक भी शामिल हैं:

क्र.सं. _	**क्यूसीओ**	**IS सं.**	**उत्पाद**
1	संपूर्ण-रबर और सभी पॉलिमरिक सामग्री और उसके घटक	आईएस 5676: 1995	ढले हुए ठोस रबर के तलवे और एड़ियाँ
2	संपूर्ण-रबर और सभी पॉलिमरिक सामग्री और उसके घटक	आईएस 6664: 1992	तलवों और एड़ी के लिए रबर माइक्रोसेलुलर शीट
3	संपूर्ण-रबर और सभी पॉलिमरिक सामग्री और उसके घटक	आईएस 6719: 1972	ठोस पीवीसी तलवे और एड़ी
4	संपूर्ण-रबर और सभी पॉलिमरिक सामग्री और उसके घटक	आईएस 13893: 1994	पॉलीयुरेथेन सोल, अर्धकठोर

प्रश्न9: मैं इन क्यूसीओ के अंतर्गत आने वाले फुटवियर उत्पादों का आयातक/खरीदार/खुदरा विक्रेता/थोक विक्रेता/वितरक हूं, क्या मुझे भी बीआईएस प्रमाणीकरण लेने की आवश्यकता है?

ए9: नहीं, बीआईएस केवल विनिर्माण इकाइयों को प्रमाणन देता है, खरीदारों/आयातकों/खुदरा विक्रेताओं/थोक विक्रेताओं/वितरकों को नहीं।

हालाँकि, खरीदार/आयातकर्ता/खुदरा विक्रेता/थोक विक्रेता/वितरक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्यूसीओ के अंतर्गत आने वाले उत्पाद केवल वैध बीआईएस लाइसेंस रखने वाली विनिर्माण इकाई से ही खरीदे जाएं।

प्रश्न10: मेरी कंपनी क्यूसीओ के अंतर्गत आने वाले इन फुटवियर उत्पादों को एक विदेशी निर्माता से प्राप्त कर रही है। क्या विदेशी निर्माताओं को भी BIS सर्टिफिकेशन मिल सकता है?

ए10: बीआईएस "विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस)" के तहत विदेशी निर्माताओं को भी प्रमाणन प्रदान करता है। आवेदन प्रक्रिया, फॉर्म आदि सहित विवरण बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर अनुरूपता मूल्यांकन > एफएमसीएस के तहत उपलब्ध हैं।

Q11: IS 17043:2018 के अनुसार डर्बी जूते इन QCOs के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में से एक है। क्या यह आम जनता द्वारा उपयोग किए जा रहे डर्बी प्रकार के औपचारिक/अर्ध-औपचारिक जूतों पर लागू होता है?

ए11: वर्तमान में केवल डर्बी जूते जो सशस्त्र बलों/पुलिस बलों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, आईएस 17043:2018 के दायरे में आते हैं और इस प्रकार, केवल ये डर्बी जूते क्यूसीओ के तहत कवर किए जाएंगे। इसलिए, क्यूसीओ अभी नागरिक उपयोग के लिए डर्बी जूतों पर लागू नहीं होगा।

बीआईएस ने यह जानकारी बीआईएस वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित की है। https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/clarification-on-derby-shoes.pdf

प्रश्न 12: भारत में फुटवियर विनिर्माण इकाई के लिए बीआईएस प्रमाणन की प्रक्रिया क्या है?

ए12: घरेलू निर्माताओं के लिए, बीआईएस प्रमाणन प्रक्रिया (योजना-I के तहत जो जूते के लिए लागू है) में निम्नलिखित चरण शामिल हैं

चरण 1: उत्पाद के लिए लागू भारतीय मानक की पहचान, उदाहरण के लिए पीवीसी औद्योगिक जूतों के लिए भारतीय मानक IS 12254:2021 है

चरण 2: eBIS प्लेटफॉर्म www.manakonline.in पर निम्नलिखित तरीके से एक खाता बनाएं :

i) https://www.manakonline.in/ पर जाएं

ii) "अनुरूपता मूल्यांकन (मैनकोनलाइन)" चिह्नित टाइल पर क्लिक करें

iii) पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर नीले "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें

iv) "खाता बनाएं" पर क्लिक करें (यदि आपके पास पहले से खाता है तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं)

v) खाता बनाने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। आपको लॉगिन क्रेडेंशियल (उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड) प्राप्त होगा

vi) इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें

vii) लागू भारतीय मानक के अनुसार अपना आवेदन जमा करने के लिए पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें (आप दिए गए उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं)।

टिप्पणियाँ:

1. हालाँकि आवेदन जमा करने के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं यानी विकल्प 1 या सामान्य प्रक्रिया और विकल्प 2 या सरलीकृत प्रक्रिया, अधिकांश फुटवियर उत्पादों के लिए, आवेदन विकल्प 2 के तहत जमा करना होगा।

2. विकल्प 2 (सरलीकृत प्रक्रिया) के तहत आवेदन करते समय, सबसे पहले, लॉग इन करने के बाद, **"जनरेट क्यूआर कोड" शीर्षक वाले टाइल का उपयोग करके एक क्यूआर कोड जेनरेट करना होगा** । इस क्यूआर कोड को मुद्रित करने और परीक्षण के लिए आवश्यक नमूनों पर लागाने की आवश्यकता होगी (परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की किस्मों/संख्या की पहचान के लिए, कृपया बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर अनुरूपता मूल्यांकन>उत्पाद प्रमाणन>उत्पाद विशिष्ट जानकारी>उत्पाद मैनुअल के अंतर्गत उस उत्पाद के लिए उत्पाद मैनुअल में दिए गए लाईसेंस के दायरे और समूहीकरण दिशानिर्देशों को देखें।)

3. फिर लैब को भेजे जाने वाले परीक्षण अनुरोध को दिए गए लिंक के माध्यम से जनरेट करना होगा जहां सैंपल की जानकारी के साथ-साथ क्यूआर कोड नंबर भी देना होगा और उपलब्ध सूची से उपयुक्त बीआईएस लैब या बीआईएस मान्यता प्राप्त/सूचीबद्ध लैब का चयन करना होगा । परीक्षण अनुरोध सबमिट करने के बाद, नमूने को चयनित प्रयोगशाला में भेजना होगा।

4. लैब परीक्षण करेगी और परीक्षण रिपोर्ट को वापस पोर्टल पर अपलोड करेगी जहां से आवेदक इसे प्राप्त कर सकता है।

viii) एक बार परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उत्पाद भारतीय मानक के अनुरूप होने पर, प्रयोगशाला द्वारा तैयार परीक्षण रिपोर्ट के साथ आवेदन जमा किया जा सकता है। (आवेदन शुल्क रु. 1000/- और विजिट शुल्क रु. 7000/- प्रति दिन आवेदन के साथ जमा करना होगा)

ix) संबंधित बीआईएस शाखा कार्यालय आवेदन की जांच करेगा और एक बीआईएस अधिकारी को फैक्ट्री सत्यापन दौरा सौंपा जाएगा, जिसके दौरान विनिर्माण और परीक्षण बुनियादी ढांचे सहित आवेदन में घोषित जानकारी को सत्यापित किया जाएगा और फैक्ट्री में उत्पाद का परीक्षण देखा जाएगा । दौरे के दौरान एक नमूना (सत्यापन नमूना) भी लिया जाएगा और बीआईएस लैब या बीआईएस मान्यता प्राप्त/पैनलबद्ध प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।

xi) फैक्ट्री दौरे) सत्यापन दौरे (के दौरान सफल सत्यापन के आधार पर ,अपेक्षित शुल्क के भुगतान के बाद लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पर कार्रवाई की जा सकती है) सत्यापन नमूने की परीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना लाइसेंस प्रदान किया जाएगा ,लेकिन परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रिपोर्ट के परिणामों के अनुसार लाइसेंस की समीक्षा की जाएगी(। विकल्प 2 के तहत लाइसेंस प्रदान करने का मानक समय 30 दिन है।

xii) विकल्प 1 (सामान्य प्रक्रिया) के तहत आवेदन करते समय, उपरोक्त चरण 2 से 4 की आवश्यकता नहीं है। पूरा आवेदन जमा करने के बाद, बीआईएस द्वारा फैक्ट्री का दौरा (प्रारंभिक दौरा) किया जाता है और सरलीकृत प्रक्रिया के विपरीत, इस मामले में लाइसेंस केवल दौरे के दौरान लिए गए नमूनों (आवेदक के नमूने) की परीक्षण रिपोर्ट के बाद ही दिया जाएगा। s)) प्रयोगशाला से प्राप्त होता है और उत्पाद की भारतीय मानक के अनुरूपता को दर्शाता है। नमूनों के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए, विकल्प 1 के तहत लाइसेंस प्रदान करने का मानक समय 90 दिन है।

उत्पाद प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर अनुरूपता मूल्यांकन > उत्पाद प्रमाणन के अंतर्गत उपलब्ध जानकारी देखें।

प्रश्न13: लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, क्या मुझे नियमित रूप से उत्पाद का परीक्षण करने की आवश्यकता है? क्या कोई परिभाषित आवृत्ति है?

ए13: उस उत्पाद के लिए उत्पाद मैनुअल (बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर अनुरूपता मूल्यांकन>उत्पाद प्रमाणन>उत्पाद विशिष्ट जानकारी>उत्पाद मैनुअल के तहत उपलब्ध) देखें।

उत्पाद मैनुअल में दी गई निरीक्षण और परीक्षण की योजना उस आवृत्ति को बताते हुए नियंत्रण के स्तर को इंगित करती है जिस पर दिए गए परीक्षण किए जा सकते हैं।

प्रश्न 14: भारतीय मानक में कई परीक्षण निर्धारित हैं जिनमें से कुछ के लिए महंगे उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे मेरी कंपनी खरीदने में सक्षम नहीं है। क्या मैं इन परीक्षणों को बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में उपठेके पर दे सकता हूँ?

ए14: उस उत्पाद के लिए उत्पाद मैनुअल (बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर अनुरूपता मूल्यांकन>उत्पाद प्रमाणन>उत्पाद विशिष्ट जानकारी>उत्पाद मैनुअल के तहत उपलब्ध) देखें।

उत्पाद मैनुअल में दी गई निरीक्षण और परीक्षण की योजना उन परीक्षणों को इंगित करती है जिन्हें बीआईएस मान्यता प्राप्त/सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं ("एस" के रूप में दर्शाया गया है) और उन परीक्षणों को उपठेका दिया जा सकता है जिन्हें घर में किए जाने की आवश्यकता है ("आर" के रूप में)। जारी की गई परीक्षण रिपोर्टों के साथ-साथ इन परीक्षणों के रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता है। किसी भी भारतीय मानक के लिए बीआईएस

मान्यता प्राप्त/पैनलबद्ध प्रयोगशालाओं की सूची eBIS प्लेटफॉर्म: www.manakonline.in से "प्रयोगशाला" के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 15: हम एक ही औद्योगिक क्लस्टर/आस-पास में काम करने वाले एमएसएमई का एक समूह हैं, क्या हम अपनी प्रत्येक इकाई में प्रयोगशाला स्थापित करने के बजाय एक सामान्य परीक्षण सुविधा का उपयोग कर सकते हैं?

ए15: एमएसएमई द्वारा क्लस्टर आधारित परीक्षण सुविधाओं जैसी सामान्य परीक्षण सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं। कृपया अनुरूपता मूल्यांकन>उत्पाद प्रमाणन>उत्पाद प्रमाणन प्रक्रिया के तहत बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध " एमएसएमई द्वारा क्लस्टर आधारित परीक्षण सुविधा (सीबीटीएफ) के उपयोग के लिए दिशानिर्देश " देखें।

प्रश्न16: हम अपनी कई विनिर्माण इकाइयों के लिए एक साझा प्रयोगशाला साझा करने वाली बड़ी कंपनी हैं। क्या बीआईएस इस साझा प्रयोगशाला को इन इकाइयों के लिए सामान्य घरेलू प्रयोगशाला के रूप में मान सकता है?

ए16: इकाइयों के बीच परीक्षण सुविधाओं को साझा करने के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं। कृपया अनुरूपता मूल्यांकन>उत्पाद प्रमाणन>उत्पाद प्रमाणन प्रक्रिया के तहत बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुबंध-एक्स को देखें ।

प्रश्न17: मुझे फुटवियर उत्पादों के परीक्षण के लिए बीआईएस द्वारा स्थापित और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची कहां मिल सकती है?

ए17: कृपया www.manakonline.in पर जाएं और प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस) पोर्टल यानी lims.bis.gov.in तक पहुंचने के लिए "प्रयोगशाला" शीर्षक वाली टाइल पर क्लिक करें। LIMS को मानकऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा गया है।

LIMS पृष्ठ पर, "प्रयोगशाला खोजें" टाइल पर क्लिक करें। आप आईएस नंबर फ़ील्ड का उपयोग करके प्रयोगशालाओं की खोज कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप आईएस 6721:2023 के अनुसार सैंडल और चप्पल के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को जानना चाहते हैं, तो आईएस नंबर फ़ील्ड में 6721 दर्ज करें और खोज पर क्लिक करें। आप लैब का नाम, राज्य, जिला आदि का उपयोग करके भी खोज सकते हैं।

महत्वपूर्ण: कृपया ध्यान दें कि सरलीकृत प्रक्रिया के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, आपको पहले मानकऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, एक क्यूआर कोड तैयार करना होगा, पोर्टल पर प्रयोगशालाओं की सूची से एक प्रयोगशाला का चयन करके नमूने के लिए परीक्षण अनुरोध करना होगा (जो LIMS से जुड़ा हुआ है) और फिर नमूना (QR कोड लागू करके) चयनित प्रयोगशाला में भेजें।

इस प्रक्रिया (जो नमूनों की पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है) का पालन किए बिना भेजे गए नमूनों के लिए प्रयोगशालाओं द्वारा जारी की गई परीक्षण रिपोर्ट को सरलीकृत प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के हिस्से के रूप में बीआईएस द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न18. क्या बीआईएस क्यूसीओ से कोई विस्तार या छूट दे सकता है?

ए18. विशिष्ट उत्पाद, निर्यात के लिए उत्पाद(उत्पादों), क्यूसीओ की शुरुआत की तारीख का विस्तार आदि पर आदेश की गैर-प्रयोज्यता जैसी कोई भी छूट लाइन मंत्रालय (नियामक) के दायरे में आती है जिसने क्यूसीओ जारी किया है। यानी जूते के मामले में डीपीआईआईटी। जहां भी छूट की अनुमति दी जाती है, उन्हें संबंधित क्यूसीओ में ही स्पष्ट रूप से सामने लाया जाता है जैसे कि निर्यात के लिए उत्पादों के लिए छूट।

www.bis.gov.in

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

ON QUALITY CONTROL ORDERS FOR FOOTWEAR PRODUCTS

Q1: What is a Quality Control Order?

A1: BIS certification scheme is basically voluntary in nature. However, for a number of products, compliance to Indian Standards is made compulsory by the Central Government under various considerations viz. public interest, protection of human, animal or plant health, safety of environment, prevention of unfair trade practices and national security.

For such products, the Central Government directs mandatory use of Standard Mark under a Licence from BIS through issuance of Quality Control Orders (QCOs) in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read in conjunction with section 17 and subsection (3) of section 25 of the BIS Act, 2016.

After the date of commencement of the QCO, no person shall manufacture, import, distribute, sell, hire, lease, store or exhibit for sale any product(s) covered under the QCO without the Standard Mark (e.g. the ISI Mark).

For more information on QCOs, please refer the guidance document on QCOs published by BIS on its website www.bis.gov.in

Q2: Which are the footwear products for which the Government has issued Quality Control Orders?

A2: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India has issued three QCOs bringing 27 products under compulsory BIS certification, these are as follows (follow the links under the "QCO" column for accessing the full text of the QCOs including the list of the products and applicable Indian Standards):

QCO	No. of products	Date of implementation
Personal Protective Equipment – Footwear QCO	03	1 Jan 2022
Leather and Other Materials footwear Footwear QCO	11	1 July 2023
All-Rubber and all Polymeric material footwear QCO	13	1 July 2023

List of all products under compulsory BIS certification along with the QCOs and their amendments is available on BIS website under "Products under Compulsory Certification"

Q3: How can I access the Indian Standards referred for the footwear products?

A3: Indian Standards can be accessed from BIS website www.bis.gov.in under the tab "Standards>Download Indian Standards" which will direct you to the Standards BIS portal: https://standardsbis.bsbedge.com/ .

You can register on this portal and then login to download Indian Standards for free. International (ISO) standards adopted by BIS can also be downloaded on payment.

Q4: Do micro and small scale enterprises have to establish in house labs and follow the Scheme of Inspection and Testing (SIT)?

A4: Product manuals of the following consumer footwear and footwear components products have been revised in order to make compliance to the Scheme of Inspection and Testing (SIT) OPTIONAL for Micro, and Small Scale Units with respect to the following requirements of the SIT

- Clause 1(Laboratory): i.e. requirement of maintaining a suitably equipped and staffed lab is not compulsory
- Clause 2 (Test records): i.e. requirement of maintaining test records is not compulsory
- Clause 4 (Control Unit) and Clause 5 (Levels of Control) i.e. Conducting tests as indicated under levels of control is not compulsory

These changes have been made in the product manuals of the following products

- Sandals and Slippers (IS 6721:2023)
- Hawai chappals (IS 10702:2023)
- Sports Footwear (IS 15844:2010, IS 15844 (Part 1):2023, IS 15844 (Part 2):2023))
- Canvas Shoes and Boots with Rubber sole (IS 3735:1996, IS 3736:1995)
- Moulded solid rubber soles and heels (IS 5676: 1995)
- Rubber microcellular sheets for soles and heels (IS 6664: 1992)
- Solid PVC soles and heels (IS 6719: 1972)
- Polyurethane sole, semirigid (IS 13893: 1994)

However, ALL units shall ensure compliance of their products to the requirements of the Indian Standard and the requirements of SIT with respect to Clause 3 (Packing and Marking) and Clause 6 (Rejection) shall be followed by all.

Please refer to the product manuals for the above products available in BIS website www.bis.gov.in where the above has been mentioned for the products as above . A circular informing the same has also been hosted on BIS website (https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2023/09/notification-for-footwear-SIT-relaxation-merged.pdf)

Q5: I heard that BIS has recently revised standards for certain products. Will industry get some time to comply with the QCOs with respect to the products as per the revised standards? Does this apply to both domestic and foreign manufacturers?

A5: For the following products for which standards have been revised recently, the manufacturers making the products as per these revised specifications will be given an additional time of 6 months to comply i.e. up to **31 December 2023**.

Current IS No. (Product)	Revised IS No. (Product)
IS 15844:2010 – Sports Footwear	IS 15844 (Part 1):2023 – Sports Footwear Part -1 General Purpose, and

	IS 15844 (Part 2):2023 – Sports Footwear Part 2 Performance Sports Footwear
IS 10702:1992 – Rubber Hawai Chappal	IS 10702:2023 - Hawai Chappal
IS 11544:1986 – Rubber Slipper	IS 6721:2023 – Sandal and Slipper
IS 6721:1972 – PVC Sandal	

This applies to both domestic and foreign manufacturers making footwear for consumers in India.

BIS has published this information in the public domain on BIS website - https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/NOTIFICATION-FOR-EXTENSION.pdf

Q6: My company owns several manufacturing units spread across various locations. Do I need to obtain BIS certification for all these units?

A6: Yes, BIS certification is granted to a manufacturing premises and not to a company. Therefore, separate certification (licence) shall need to be obtained for each manufacturing premises (manufacturing premise(s) means the premises, either owned by the applicant or otherwise, where a part of the manufacturing activity takes place and includes the premises where the final manufacturing activity is carried out and where Standard Mark is to be used or applied).

Q7: In my manufacturing unit, I make several different types of footwear products. Do I need to take one licence for the unit or separate licences for each of the products? Do I also need to take separate licences for each of the different varieties of the same footwear product being produced?

A7: BIS grants separate licences for each product according to the Indian Standards applicable. For example, if both Hawai Chappal (IS 6721:2023) and Sports Footwear – General Purpose (IS 15844 (Part 1):2023) are being manufactured in the same unit, that unit has to obtain two separate licences for each of these products/Indian Standard.

However, different varieties of the product covered under the same Indian Standard, can be covered under the same licence. Please refer the product manuals (Scope of licence and grouping guidelines) for more information related to specific products. https://www.bis.gov.in/product-certification/product-specific-information-2/product-manualsmk

Q8: Do these QCOs apply only to finished footwear or footwear components/materials as well?

A8: Among the 27 products covered under these 3 QCOs, the following footwear components are also covered:

S.No.	QCO	IS No.	Product
1	All-Rubber and all Polymeric material and its components	IS 5676: 1995	Moulded solid rubber soles and heels

2	All-Rubber and all Polymeric material and its components	IS 6664: 1992	Rubber microcellular sheets for soles and heels
3	All-Rubber and all Polymeric material and its components	IS 6719: 1972	Solid PVC soles and heels
4	All-Rubber and all Polymeric material and its components	IS 13893: 1994	Polyurethane sole, semirigid

Q9: I am an importer/buyer/retailer/wholesaler/distributor of the footwear products covered under these QCOs, do I also need to take BIS certification?

A9: No, BIS grants certification only to manufacturing units and not to buyers/importers/retailers/wholesalers/distributors.

However, buyers/importers/retailers/wholesalers/distributors shall ensure that the products covered under QCOs are purchased only from manufacturing unit holding a valid BIS licence.

Q10: My company is sourcing these footwear products covered under the QCOs from a foreign manufacturer. Can foreign manufacturers also get BIS certification?

A10: BIS grants certification to foreign manufacturers as well under the "Foreign Manufacturers Certification Scheme (FMCS)". Details including the application process, forms etc are available BIS website www.bis.gov.in under Conformity Assessment>FMCS.

Q11: Derby shoes as per IS 17043:2018 is one of the products covered under these QCOs. Does this apply to formal/semi-formal shoes of derby type being used by the general public?

A11: Currently only the Derby Shoes which are to be used by armed forces/police forces are covered in the scope of IS 17043:2018 and thus, only these derby shoes will be covered under the QCO. Therefore, the QCO shall not apply to derby shoes for civilian use as of now.

BIS has published this information in public domain on BIS website - https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/clarification-on-derby-shoes.pdf

Q12: What is the procedure for BIS certification for a footwear manufacturing unit in India?

A12: For domestic manufacturers, BIS certification process (under Scheme-I which is applicable for footwear) involves the following steps

Step 1: Identification of the applicable Indian Standard for the product e.g. for PVC Industrial Boots the Indian Standard is IS 12254:2021

Step 2: Create an account on the eBIS platform www.manakonline.in in the following manner:

i) Go to https://www.manakonline.in/

ii) Click on the tile marked "Conformity Assessment (Manakonline)"

iii) Click on the blue “Login” button on the top right hand corner of the page

iv) Click on “Create account” (you can login directly if you already have an account)

v) Follow the instructions given to create an account. You will receive login credentials (username and password)

vi) Log in to the portal using these credentials

vii) Follow the instructions on the portal (you can refer the user manual given) to submit your application as per the applicable Indian Standard.

Notes:

1. Although there are two options available for application submission i.e. option 1 or normal procedure and option 2 or simplified procedure, for the majority of the footwear products, application has to be submitted under option 2.

2. When applying under option 2 (simplified procedure), firstly, after logging in, a **QR code has to be generated using the tile titled “Generate QR code”**. This QR code will need to be printed out and applied on the sample(s) needed to be tested (For identifying the varieties/number of samples to be tested please refer the scope and grouping guidelines given in the **product manual** for that product available on BIS website www.bis.gov.in under Conformity Assessment>Product Certification>Product Specific Information>Product Manuals)

3. Then **the test request to be sent to the lab has to be generated through the link provided** where the details of the sample as well as the QR code number have to be provided and the appropriate BIS Lab or BIS recognized/empanelled lab selected from the list available. After submitting the test request, the sample(s) are to be sent to the selected lab.

4. The lab shall conduct the testing and upload the test report back on the portal from where the applicant can access it.

viii) Once the test report is received and product is conforming to the Indian Standard, application can now be submitted along with the lab generated test report. (Application Fee of Rs 1000/- and Visit charges of Rs 7000/- per day need to be remitted with the application)

ix) The concerned BIS Branch Office shall examine the application and a BIS officer shall be assigned a factory verification visit during which the information declared in the application including the manufacturing and testing infrastructure shall be verified and testing of the product in the factory shall be witnessed. A sample (verification sample) shall also be drawn during the visit and sent for testing to a BIS Lab or BIS recognized/empanelled lab.

xi) Based on successful verification during the factory visit (verification visit), the application may be processed for grant of licence after payment of requisite fees (licence will be granted without waiting for the test report of the verification sample but after test report is received, the licence will be taken up for review according to the results observed). Standard time for grant of licence under option 2 is 30 days.

xii) When applying under option 1 (normal procedure), steps 2 to 4 above are not required. After submission of complete application, a factory visit (Preliminary Visit) is carried out by BIS and unlike simplified procedure, in this case the licence will be granted only after the test report of the sample(s) drawn during the visit (applicant sample(s)) is received from the lab and indicates conformity of the

product to the Indian Standard. Considering the additional time for testing of samples, the standard time for grant of licence under option 1 is 90 days.

For more information on the product certification process, please refer to information available on BIS website www.bis.gov.in under Conformity Assessment>Product Certification.

Q13: After getting a licence, do I need to test the product regularly? Is there any defined frequency?

A13: Please refer the product manual (available on BIS website www.bis.gov.in under Conformity Assessment>Product Certification>Product Specific Information>Product Manuals)) for that product.

The Scheme of Inspection and Testing given in the product manuals indicates levels of control giving the frequency at which the given tests may be carried out.

Q14: There are several tests prescribed in the Indian Standard some of which require expensive equipment which my company cannot afford to purchase. Can I subcontract these tests to a BIS recognized lab?

A14: Please refer the product manual (available on BIS website www.bis.gov.in under Conformity Assessment>Product Certification>Product Specific Information>Product Manuals)) for that product.

The Scheme of Inspection and Testing given in the product manuals indicates those tests which can be subcontracted to BIS recognized/empanelled labs (indicated as "S") and those tests which need to be done in-house (as "R"). Records of these tests along with the test reports issued need to be maintained. The list of BIS recognized/empanelled labs for any Indian Standard can be accessed from eBIS platform: www.manakonline.in under "Laboratory".

Q15: We are a group of MSMEs operating in the same industrial cluster/nearby, can we utilize a common test facility instead of setting up labs in each of our units?

A15: Provisions are available for utilization of common test facilities such as Cluster Based Testing Facilities by MSMEs. Please refer "Guidelines for utilisation of Cluster Based Test Facility (CBTF) by MSMEs" available on BIS website under Conformity Assessment>Product Certification>Product certification process.

Q16: We are large company sharing a common laboratory for our multiple manufacturing units. Can BIS treat this shared lab as the common in-house lab for these units?

A16: Provisions are available for sharing of testing facilities among units. Please refer Annex-X of Guidelines for Grant of Licence available on BIS website under Conformity Assessment>Product Certification>Product certification process.

Q17: Where can I find the list of labs established and recognized by BIS for testing footwear products?

A17: Please visit www.manakonline.in and click on the tile titled "laboratory" to access the Laboratory Information Management System (LIMS) portal i.e. lims.bis.gov.in. LIMS is linked to the Manakonline portal.

On the LIMS page, click the "Search a lab" tile. You can search for labs using the IS Number field e.g. If you want to know the labs recognized for testing sandals and slippers as per IS 6721:2023, enter 6721 in the IS Number field and click on search. You can also search using lab name, state, district etc.

IMPORTANT: Please note that while applying for licence under simplified procedure, you are required to first register on the Manakonline portal, generate a QR code, test request for the sample by selecting a labs from the list of labs on the portal (which is linked to LIMS) and then send the sample (with QR code applied) to the selected lab.

Test reports issued by labs for samples sent without following this procedure (which is required to ensure traceability of samples) may not be accepted by BIS as part of an application for grant of licence under simplified procedure.

Q18. Can BIS grant any extension or exemption from the QCOs?

A18. Any exemptions like non-applicability of the Order on specific product(s), product(s) meant for export, extension of the date of commencement of QCO etc. come under the purview of the Line Ministry (Regulator) who has issued the QCO i.e. DPIIT in case of footwear. Wherever exemptions are permitted, these are clearly brought out in respective QCO itself such as exemption for products meant for export.